



जे.डी.ए. में भ्रष्टाचार

जे.डी.ए. के कर्मचारी पहले वाटसअप पर भेजते हैं अधिक राशि की लीज मनी जमा करवाने का ड्राफ्ट, फिर कम करने के नाम पर करते हैं, रिश्वत की मांग।

जे.डी.ए. के ज़ोन 8 का है मामला

जैसे जैसे भ्रष्टाचारियों पर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की नजरे पैनी होती जा रही है, भ्रष्ट कर्मचारियों के रिश्वत मांगने के तरीके उसी तरीके से हार्टिके होते जा रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में आवेदक द्वारा अपने व्यवसायिक भूखंड की एक मुश्त राशि जमा करवाने के जे.डी.ए. में आवेदन किया। इसके लिए पहले तो जे.डी.ए. ज़ोन 8 के कर्मचारियों द्वारा एक मुश्त लीज मनी जमा करवाने के लिए आवेदक के पास



वाटसअप पर 348760 रूपये के अधिक राशि की लीजमनी के चालान का ड्राफ्ट भेजकर, ज़ोन के लेखाधिकारी महोदय से मिलने का दबाव बनाया, साथ ही यह भी कहा कि साहब बहुत गर्म मिजाज के हैं, तमीज से बात करना और उनकी हर बात पर हांजी हांजी करना, नहीं तो तुम्हारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। इस पर जब आवेदक जे.डी.ए. ज़ोन 8 में संपर्क करता है तो उसे यही बात दोहरा दी जाती है। जब आवेदक उन्हें संतुष्ट कर देता है तो वही चालान 174380 रूपये का हो जाता है।

श्री अशोक कुमार गुप्ता पुत्र श्री नाथूलाल गुप्ता एवं
श्री राकेश कुमार शर्मा पुत्र स्व० श्री गुलाब दास शर्मा
निवासी-प्लॉट नम्बर ए-26, आशीष विहार, जगतपुरा
जयपुर।

विषय : जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना पत्रकार कॉलोनी के व्यावसायिक
भूखण्ड संख्या 14 की एकमुश्त लीज राशि जमा कराने बाबत।

संदर्भ : आपका पत्र दिनांक 18.11.2019 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर जयपुर विकास
प्राधिकरण की आवासीय योजना पत्रकार कॉलोनी के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 14 की एकमुश्त
लीज राशि जमा कराने बाबत निवेदन किया गया है।

अतः उक्त भूखण्ड के पंटे निम्न राशि जमा कराये :-

क्र.सं.	मद	राशि
1.	बकाया लीज	69752
2.	एकमुश्त लीज	279008
	कुल राशि	348760

आप उक्त राशि जमा कराकर चालान की मूल प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें, ताकि
रण में आगामी कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सके।

उक्त मांग पत्र की वैधता राशि जमा दिनांक 31.12.19 तक जमा होने पर ही है।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
(जमाकर्ता की प्रति)

प्रकोष्ठ : Deputy Commissioner (Zone 08)

चालान संख्या 637122

खाता सं. 675401700500

दिनांक 26/11/2019 Valid upto
26/12/2019

सर्विस नं. 1007005465

जमाकर्ता/आवेदनकर्ता ALOK KUMAR GUPTA &
RAKESH KUMAR SHARMA

का नाम
सेक्टर/अवधि/सं. 14/आवासीय/Commercial
योजना का नाम PATRAKAR COLONY(COMM)

समिति/विकासकर्ता JDA
जोन सं. ZONE-08
SUBJECT TO REALISATION

जमा की जाने वाली राशि का विवरण

Code	Head	Rupees
1020701	Urban Assessment	34876.00
1020702	Urban Assessment (one Time)	139504.00
कुल योग (अंकों में)		174380.00

Amount (Rs.)=1,74,380.00

(valid upto 26/12/2019)

Name of Bank UNION BANK OF INDIA

Payment Mode-Cheque No 224655 Date 26/11/2019

चालान पर अंकित मान्य अर्थों का सम्बन्ध जमा करायी जाने वाली राशि
पर देय ब्याज एवं पेनल्टी से नहीं है।

वचनबद्धता

उपरोक्त जमा कराई गई राशि मात्र से जमाकर्ता के जविप्रा के विरुद्ध
किसी प्रकार कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा यह जमा राशि मेरे
स्वनिर्वाह के अन्तर्गत है, जिसके औचित्य एवं पार्यता होने आदि के लिए
मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा।

चालान संख्या 637122

Contact No 9610212777

हस्ताक्षर जमाकर्ता

आवेदक को वाटसअप पर भेजा गया ड्राफ्ट

वास्तविक रकम का चालान, जो जमा करवाई गयी।

उपायुक्त ने दिया कड़ी कार्यवाही करने का आश्वासन

इस पूरे मामले की जानकारी ज्ञान के उपायुक्त श्री अशोक कुमार योगी के सामने लाने पर उनके द्वारा ज्ञान के सभी कर्मचारियों को बुला कर, मामले की वास्तविकता जानी गयी जिसमें कर्मचारियों द्वारा कबूला गया कि उनसे यह गलत काम हुआ है। हालाँकि उपायुक्त महोदय द्वारा दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है। परन्तु देखने वाली बात यह है कि क्या वाकई दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही होती है या केवल आश्वासन देकर मामले की इतिश्री कर दी जाती है।



मुख्यमंत्री महोदय ने दिए हैं भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने और भ्रष्टाचार उजागर करने वालों के काम नहीं रोकने के आदेश।

राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए, यह भी आदेश दिए हैं कि भ्रष्टाचार उजागर करने वाले नागरिकों को पूर्ण सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए और उनके विभागों में अटके कोई काम नहीं रोके जाए।